

समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला जनसम्पर्क कार्यालय)
प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 19-10-2016

जिला संयुक्त आदेश झापांक 2520 /गो०, दिनांक 18-10-2016 द्वारा फेसबुक, वाट्सएप इत्यादि के ग्रुप सोशल में मधेपुरा जिला के नियंत्रण कोषांग का मोबाईल नम्बर 9955948775 जोड़ने का प्रावधान किया गया था। साथ ही फेसबुक, वाट्सएप ग्रुप के सोशल ग्रुप पर भी मधेपुरा मॉनिटर को जोड़ने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में दूरभाष पर विभिन्न स्तरों से सूचना प्राप्त हुई।

अतएव यह स्पष्ट किया जा रहा है कि इस परिधि में मात्र वैसे ग्रुप आते हैं, जो सोशल ग्रुप के अधीन परिभाषित किए जायेंगे। पारिवारिक ग्रुप या प्रेस ग्रुप इस परिधि के अधीन नहीं माने जायेंगे। इस प्रकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 (2) एवं अनुच्छेद-19 (3) के अधीन भारत की एकता एवं अखण्डता, राज्य की सुरक्षा एवं पब्लिक ऑर्डर को बनाये रखने के निमित्त निर्गत किया गया है।

ह०/-

जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी
मधेपुरा।

झापांक 172/जनसम्पर्क, मधेपुरा, दिनांक 19.10.2016

प्रतिलिपि : सभी स्थानीय प्रेस, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त सभी संबंधित पदाधिकारी /कर्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /सभी संबंधित पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी
मधेपुरा।